THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) Yes, Sir.

(b) Salient features of deregulation of iron and steel are as follows :

(i) Abolition of price and distribution regulation on iron and steel with effect from 16-1-1992, while retaining partial distribution regulation in respect of some sensitive sectors.

(ii) The requirements of defence, Railways, the Small Scale Industries sector, exporters of Engineering Goods and the North Eastern Region will continue to be met on priority as hitherto, at prices that may be announced by the producers from time to time. The Development Commissioner for Iron & Steel will oversee compliance of this arrangement.

(iii) The levies on account of the Steel Development Fund, Engineering Goods Export Assistance Fund and the JPC cess will continue to be realised by the JPC on the ex-works prices of the integrated steel plnats (excluding TISCO).

(iv) The scheme of freight equalisation on iron and steel has been abolished. The main producers, *i.e.* SAIL, VSP and TISCO will fix exstockyard prices on the basis of the actual freight or the freight element as it exists at present (Rs. 956 tonne on steel items and Rs. 645 per tonne on pig iron), whichever is less.

(v) Import duties have been reduced from 35% to 10% on steel melting scrap, from 55% to 35% on pig iron and from 65% to 45% on billets and HR coils, so as to facilitate imports to supplement domestic availability.

Deregulation would result in improved efficiency and international competitiveness and provide the requisite environment for the creation of new capacities in the private sector for meeting the increasing requirements of the future. This would also enable the public sector and the integrated steel plants to generate resources for their modernisation and expansion programmes.

(c) No. Sir.

(d) Does not arise.

राज्यों को सिंचाई-परियोजनाएं

* 66. श्री अजीत जोगी :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिये प्रत्येक राज्य से कितने कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए ;

(ख) राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(ग) राज्यवार कितने प्रस्ताव लम्बित हैं ; और

(घ) मध्य प्रदेश की लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (घ) 1.1.1989 से 31.12.1991 तक प्राप्त हुई नई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति ।

नई बृहद और मध्यम परियोजनाओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य	कुल प्राप्त प्रस्ताव	परामर्श समिति द्वारा परियोजनाओं पर विचार किया गया और वे स्वीकार्य पायी गई बशर्ते कि कुछ राज्यों सरकारों द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाए	परियोजनाएं परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई किन्तु विचार स्थगित कर दिया गया	परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकारों को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को निबटाना है	राज्य सरकारों को लौटाई गई परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश .	13	0	0		9
2.	असम . .	8	0	1	2	5
3.	बिहार . .	18	2	0	6	10
4.	गुजरात .	11	4	0	4	3
5.	हरियाणा .	7	0	1	5	1
6.	जम्मू एवं काश्मीर	2	0	0	0	2
7.	कर्नाटक .	3	0	0	2	1
8.	केरल . .	2	0	0	1	1
9.	मध्य प्रदेश .	13	2	1	9	1
10.	महाराष्ट्र .	24	8	0	8	8
11.	मणिपुर .	1	0	0	1	0
12.	उड़ीसा .	8	3	0	3	2
13.	पंजाब . .	3	0	0	1	2
14.	राजस्थान .	15	2	0	4	9
15.	उत्तर प्रदेश .	8	5	0	0	3
16.	अरूणाचल प्रदेश .	2	0	0	0	2
	कुल : .	138	26	3	50	59

टिप्पण: — मध्यप्रदेश की परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी शीघ्रता से केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है और पर्यावरण और वन दृष्टिकोण से पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा पुनर्स्थापना और पुनर्वास पहलुओं पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है, । यदि विस्थापित आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल है ।